सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 122/प्रा0पत्र/2022 दायरा दिनांक :– 16.06.2022

GCMS ID–2022/86

1. दिलदार सिंह आ0 पूरणमल जाति मीणा निवासी उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी :– परोकार सरकार

दिनांक :– 20/01/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 291 खसरा संख्या 1159, 1160, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1357, 1359, 1360, 1362 कुल किता 14 कुल रकबा 7.4380 हैक्टेयर वो ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली में विस्थित है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/28 निहित है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सकराम दर्ज हो रहा है। प्रार्थी का वास्तविक नाम दिलदार सिंह मीणा है, जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी में प्रार्थी का नाम सकराम दर्ज होने से प्रार्थी को कृषि योजना के तहत मिलने वाला लाभ, प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, टी0सी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक्स आदि में प्रार्थी का नाम दिलदार सिंह मीणा अंकित है लेकनि राजस्व रिकॉर्ड की भूमिया प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में संहवन से प्रार्थी का नाम सकराम दर्ज हो रहा है, जो अवैध व निरस्तीय योग्य है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर सकराम के स्थान पर दिलदार सिंह मीणा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी उक्त गलत इन्द्राज को सही करवाने हेतु पटवारी साहब से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि तहसीलदार साहब ही उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करेगे तब प्रार्थी तहसीलदार साहब से मिला तो तब तहसीलदार साहब ने दिनांक 20.05.

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

2022 को प्रार्थी से कहा कि न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त किया जा सकता है, यही वाद उत्पत्ति का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में दर्ज प्रार्थी का नाम सकराम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर दिलदार सिंह मीणा दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम दिलदार सिंह मीणा दर्ज करवावे। भूमिया वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 291 खसरा संख्या 1159, 1160, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1357, 1359, 1360, 1362 कुल किता 14 कुल रकबा 7.4380 हैक्टेयर वो ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सकराम के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर दिलदार सिंह मीणा दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम दिलदार सिंह मीणा दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा ज़बाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अंकित भूमि में दर्ज सकराम के स्थान पर दिलदारसिंह मीणा किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/24/3195 दिनांक :– 13.11.2024 द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम उमर के खाता संख्या 291 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 1159, 1160, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1357, 1359, 1360, 1362 कुल किता 14 कुल रकबा 7.4380 हैक्टेयर वाके ग्राम उमर में दर्ज सकराम के स्थान पर दिलदारसिंह दर्ज करवाना चाहता है। मौके पर उपस्थित सहखातेदारान/मौतबिरानों से जानकारी करने पर बताया गया कि सकराम व दिलदारसिंह एक ही व्यक्ति का नाम है, उक्त शुद्धि किए जाने में अपनी संहमति होना बताया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सकराम व दिलदारसिंह एक ही व्यक्ति का नाम है जिन्हें मुताबिक प्रार्थना के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता डायरी व पेन कार्ड, राशन कार्ड पेश किए है जिनमें प्रार्थी का नाम दिलदारसिंह मीणा दर्ज है, जो कि वर्तमान जमाबंदी में सकराम पुत्र पूरणमल अंकित है। प्रकरण में अप्रार्थी जबाव पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 291 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 1159, 1160, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1357, 1359, 1360, 1362 कुल किता 14 कुल रकबा 7.4380 हैक्टेयर वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली में दर्ज सकराम पुत्र पूरणमल के स्थान पर दिलदारसिंह पुत्र पूरणमल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहर्रीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 20.01.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

20/01/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446